कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2010–21 दिनांक–04.01.2021 के तहत् विमला सैनी, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, मैनावाली, हनुमानगढ का स्थानान्तरण राउमावि, निरवाना–सूरतगढ, श्रीगंगानगर किया गया। विमला सैनी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–1005/2021 विमला सैनी बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या–1005/2021 में माननीय न्यायालय निर्णय दिनांक–19.01.2021 द्वारा याचिकार्थी विमला सैनी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में याचिकार्थी की वेदना के आधार पर एवं राजकीय नीति के अन्तर्गत तीन सप्ताह में निस्तारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी विमला सैनी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की दो पुत्रियां होने, छोटी पुत्री केवल 2 वर्ष की होने, पति राजकीय सेवा में हनुमानगढ तहसील में ही पदस्थापित होने, स्वयं के अस्वस्थ होने एवं अनेक सर्जिकल ऑपरेशन होने, स्वयं की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की स्थानान्तरण पॉलिसी के तहत् पति एवं पत्नी को गृह जिले में ही रखने को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तरण निरस्त करने अथवा हनुमानगढ ब्लॉक में ही किसी नजदीकी विद्यालय में पदस्थापन करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा हनुमानगढ ब्लॉक में व्याख्याता–हिन्दी में पदस्थापन की मांग की गई है, उक्त ब्लॉक में व्याख्याता–हिन्दी का पद रिक्त नहीं है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए किए गए स्थानांतरण आदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./विमलासैनी/1005/2021/1-2 दिनांक– 08-2-2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, हनुमानगढ
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)